

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर.

परिशोधन प्रार्थना पत्र संख्या – 20/2012/करौली

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,
प्रतिकरापवंचन, घट-प्रथम, अलवर।

अप्रार्थी

ब्लाम्

.....प्रार्थी

मैसर्स मंगलम एन्टरप्राइजेज, हिण्डौन सिटी।

एकलपीठ

श्री मदन लाल, सदस्य

उपस्थित:-

श्री एन.के.बैद, उप-राजकीय अभिभाषक।

.....अप्रार्थी की ओर से

श्री ओ.पी.गुप्ता, अभिभाषक।

.....प्रार्थी व्यवहारी की ओर से

निर्णय दिनांक:-30.01.2015

निर्णय

उक्त परिशोधन प्रार्थना पत्र व्यवहारी द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 33 के तहत कर बोर्ड की समन्वय पीठ (खण्डपीठ) द्वारा अपील संख्या 2130/2010/करौली में पारित निर्णय दिनांक 10.06.2012 के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया है, जिसमें व्यवहारी ने निर्णय में अभिलेख की प्रकट भूल बताते हुये उक्त पारित निर्णय को परिशोधित करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अप्रार्थी निर्धारण अधिकारी द्वारा दिनांक 27.06.2009 को वाहन संख्या RJ-34-G/0189 को गैलपुर के पास चैक किया गया। मांगे जाने पर वाहन चालक/माल प्रभारी ने वाहन में लदे माल टिन शीट के समर्थन में बिल नं0 1/005 दिनांक 26.6.2009 मै0 दुर्गा एन्टरप्राइजेज दिल्ली तथा प्रपत्र वैट-47 नं0 1181843 अप्रार्थी निर्धारण अधिकारी के समक्ष पेश किये। अप्रार्थी निर्धारण अधिकारी ने प्रस्तुत दस्तावेजों की जाँच पर पाया कि परिवहनित माल टिन शीट कर योग्य है जिसके राज्य में आयात पर वैट 47 प्रपत्र समस्त प्रविष्टियों की पूर्ति सहित संलग्न किया जाना आज्ञापक है। परन्तु वाहन चालक द्वारा प्रस्तुत वैट 47 के पार्ट बी के कॉलम नं0 1 में बिल नं0 अंकित नहीं होने तथा घोषणा पत्र निर्धारित स्थानों पर पंच नहीं होने के आधार पर प्रथम दृष्ट्या राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 जिसे आगे "वैट अधिनियम" कहा जायेगा, की धारा 76(2)(बी) का उल्लंघन होना मानते हुए, उक्त वाहन को निरुद्ध कर, प्रार्थी व्यवहारी को कारण बताओ नोटिस जारी किया। नोटिस की पालना में आयातकर्ता फर्म मै0 मंगलम एन्टरप्राइजेज, हिण्डौन की ओर से प्रस्तुत जवाब को असंतोषजनक मानते हुए अप्रार्थी निर्धारण अधिकारी ने वैट अधिनियम की धारा 76(6) के

लगातार.....2

अन्तर्गत माल की कीमत रू0 2,45,269/-पर 30 प्रतिशत से शास्ति रू. 73,581/-अप्रार्थी के विरुद्ध आरोपित की। अप्रार्थी निर्धारण अधिकारी के इस आदेश से व्यथित होकर प्रार्थी-व्यवहारी ने अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर, अपीलीय अधिकारी ने जरिये आदेश दिनांक 22.04.2010 के आरोपित शास्ति को अपास्त कर दिया। अपीलीय अधिकारी के उक्त आदेश से व्यथित होकर अप्रार्थी विभाग द्वारा कर बोर्ड के समक्ष अपील प्रस्तुत की गयी। कर बोर्ड की समन्वय पीठ (एकलपीठ) द्वारा प्रस्तुत अपील को जरिये निर्णय दिनांक 19.06.2012 के स्वीकार कर, अप्रार्थी निर्धारण अधिकारी द्वारा आरोपित शास्ति आदेश दिनांक 27.06.2008 को पुनर्स्थापित (restore) किया गया। कर बोर्ड की समन्वय पीठ (एकलपीठ) द्वारा पारित निर्णय दिनांक 19.06.2012 के विरुद्ध प्रार्थी व्यवहारी द्वारा अधिनियम की धारा 33 के तहत परिशोधन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर, पारित आदेश दिनांक 19.06.2012 को परिशोधित करने का निवेदन किया गया।

उभयपक्षीय बहस सुनी गयी।

प्रार्थी व्यवहारी के विद्वान अधिकृत प्रतिनिधि ने अपील संख्या 2130/2010/करौली के संबंध में प्रस्तुत परिशोधन आवेदन पत्र का समर्थन कर, कथन किया कि माननीय कर बोर्ड की समन्वय पीठ (एकलपीठ) द्वारा पारित निर्णय विधिअनुकूल नहीं है। इस संबंध में तर्क दिया कि वक्त जांच प्रार्थी निर्धारण अधिकारी के समक्ष अधिनियम की धारा 76(2)(ए) के तहत वांछित दस्तावेज प्रस्तुत कर दिये गये थे केवल प्रस्तुत घोषणा प्रपत्र एस.टी. 47 पंच नहीं किया गया था जो तकनीकी त्रुटि है जिसके आधार पर अधिनियम की धारा 76(6) के तहत शास्ति आरोपित नहीं की जा सकती। अपने कथन के समर्थन में समान बिन्दुओं पर माननीय न्यायालयों व कर बोर्ड की समन्वय पीठ के निम्नांकित न्यायिक दृष्टांतों को प्रोद्धरित कर, प्रार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत परिशोधन प्रार्थना पत्र स्वीकार कर, कर बोर्ड की समन्वय पीठ (एकलपीठ) द्वारा पारित निर्णय दिनांक 19.06.2012 को परिशोधित करने की प्रार्थना की गयी।

(i) स.वा.क.अ., प्रतिकरापवंचन, अलवर बनाम् मैसर्स राठी बार्स लि. व अन्य (2014) 67 वी.एस.टी. 430 निर्णय दिनांक 08.08.2013 (राज.)

(ii) मैसर्स सुभाष प्रोजेक्ट एण्ड मार्केटिंग लि., जयपुर बनाम् स.वा.क.अ., सीमावर्ती जांच चौकी, उड़नदस्ता, आबूरोड अपील संख्या 1980/2010/जयपुर निर्णय दिनांक 28.12.2011 (आर.टी.बी.)

(iii) वा.क.अ., प्रतिकरापवंचन, भरतपुर बनाम् मैसर्स एस.वी.एम.ऑयल मिल्स प्रा.लि., भरतपुर अपील संख्या 2240/2011/भरतपुर निर्णय दिनांक 23.10.2013 (आर.टी.बी.)

(iv) स.वा.क.अ., वृत्त-बी, श्रीगंगानगर बनाम् मैसर्स अमित इंजीनियरिंग कम्पनी, बाड़मेर अपील संख्या 2589/2011/बाड़मेर निर्णय दिनांक 12.07.2013 (आर.टी.बी.)

(v) स.वा.क.अ., घट-द्वितीय, वृत्त-बी, अलवर बनाम् मैसर्स आरईबीआई कास्टिंग (प्रा.)लि. भिवाड़ी व अन्य 37 टैक्स अपडेट 74 निर्णय दिनांक 01.08.2013 (राज.)

(vi) स.वा.क.अ., उड़नदस्ता, अलवर बनाम् मैसर्स राठी बार्स लि. व अन्य 36 टैक्स अपडेट 78 निर्णय दिनांक 21.03.2013 (राज.)

विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने तर्क प्रस्तुत किया कि प्रकरण अधिनियम की धारा 33 के क्षेत्राधिकार के बाहर है, क्योंकि माननीय समन्वय पीठ (एकलपीठ) का निर्णय दिनांक 19.06.2012, जिसमें परिशोधन चाहा गया है, वह संचेतन मस्तिष्क व खुल आंखों से पारित किया गया है, जिसका पुनर्विलोकन (Review) अधिनियम की धारा 33 के तहत अनुज्ञेय नहीं है। अपने कथन के समर्थन में माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत मैसर्स मक्कड़ प्लास्टिक एजेन्सीज सिविल अपील संख्या 2692 /2011 निर्णय दिनांक 29.03.2011 जो (2011) 29 टैक्स अपडेट 253 को प्रोद्धरित कर, प्रस्तुत परिशोधन आवेदन पत्र को अस्वीकार किये जाने की प्रार्थना की गयी।

उभय पक्षीय बहस पर मनन किया गया। रिकॉर्ड का परिशीलन किया गया। अधिनियम की धारा 33 के प्रावधानों का आद्योपांत गहन अध्ययन किया गया तथा विद्वान अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा प्रोद्धरित माननीय न्यायालयों के न्यायिक दृष्टांतों व विभागीय प्रतिनिधि द्वारा प्रोद्धरित न्यायिक दृष्टांत में प्रतिपादित विधि का ससम्मान अध्ययन किया गया। जिनका सारतत्त्व यह है कि यदि सारभूत तथ्य अंकित हैं तो घोषणा प्रपत्र अमान्य नहीं किया जायेगा, परन्तु प्रोद्धरित न्यायिक दृष्टांत रिकॉर्ड पर परिलक्षित भूल के बिन्दू पर पारित नहीं किये गये हैं, अतः लागू किये जाने योग्य नहीं है। इस संबंध में अधिनियम की धारा 33 का स्पष्टीकरण का सावधानी पूर्वक अवलोकन किया गया। अधिनियम की धारा 33 का स्पष्टीकरण इस प्रकार है:-

अधिनियम की धारा 33 का स्पष्टीकरण . - A mistake apparent from the record shall include an order which was valid when it was

made and is subsequently rendered invalid by an amendment of the law having retrospective operation or by a judgment of the Supreme Court, the Rajasthan High Court or the Rajasthan Tax Board.

उक्त स्पष्टीकरण के अवलोकन से विदित होता है कि अभिलेख की प्रकट भूल में कोई ऐसा आदेश आयेगा, जो उस समय विधिमान्य था जब वह पारित किया गया था जिसे भूतलक्षी प्रभाव से विधि के किसी संशोधन द्वारा या उच्चतम न्यायालय, राजस्थान उच्च न्यायालय या राजस्थान कर बोर्ड के किसी निर्णय द्वारा अविधिमान्य कर दिया जाये तो उक्त अधिनियम की धारा 33 की जद (Scope) में होगा परन्तु हस्तगत प्रकरण में कोई अभिलेख की प्रकट भूल नहीं हुयी है, न ही उक्त निर्णय को पारित करते समय विधि के किन्हीं प्रावधानों पर विचार करने से वंचित रहा है। अतः इस संबंध में अधिनियम की धारा 33 के प्रावधानों के आलोक में, पूर्व में संचेतन मस्तिष्क व खुली आंखों से पारित निर्णय का पुनर्विलोकन (review) करना विधिसम्मत एवम् उचित नहीं है। प्रार्थी के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रोद्धरित न्यायिक दृष्टांत मुख्यतः शास्ति आरोपण किये जाने अथवा नहीं किये जाने से संबंधित है। अतः प्रोद्धरित न्यायिक दृष्टांतों में भिन्न तथ्यात्मक स्थिति होने के कारण विशिष्ट रूप से कोई भी प्रोद्धरित न्यायिक दृष्टांत संशोधन आदेश पर पारित नहीं किया गया है, अतः हस्तगत प्रकरण में लागू किये जाने योग्य नहीं है। इस संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत स.वा.क.अ. बनाम मैसर्स मक्कड़ प्लास्टिक एजेन्सीज सिविल अपील संख्या 2692 /2011 निर्णय दिनांक 29.03.2011 जो (2011) 29 टैक्स अपडेट 253 में प्रतिपादित विधि को हस्तगत प्रकरण में लागू किया जाना उचित होगा, उक्त निर्णय में माननीय शीर्ष न्यायालय ने अधिनियम की धारा 33 के प्रावधानों पर गहन विचार कर, यह व्यवस्था दी है कि धारा 33 की परिधि (Scope) में प्रकरण का पुनर्विलोकन नहीं आता। इस संबंध में माननीय न्यायालय द्वारा उक्त निर्णय में राजस्थान विक्रय कर अधिनियम, 1994 की धारा 37 जिसके प्रावधान अधिनियम की धारा 33 के तहत सार्दश्य हैं, पर निम्न प्रकार अपना मत व्यक्त किया गया है:— “The aforesaid well-reasoned order came to be interfered with by the Taxation Board itself while exercising the purported powers under Section 37 of the Act of 1994, which empowers the Board only to rectify a mistake apparent on the face of the record. The issue, therefore, is whether, while Taxation Board could re appreciate the evidence on record and review its earlier order by holding that there was no mens rea on the part of the assessee respondent and, therefore, no penalty is leviable on


them. The aforesaid exercise of power by the Taxation Board in the present case by interfering with its earlier order was submitted to be a jurisdictional error and also purportedly to be an exercise of power in excess to what is provided in the statute. (para-13).

इसी प्रकार माननीय न्यायालय द्वारा अपने उक्त निर्णय में यह मत भी प्रतिपादित किया है कि: **“Section 37 of the Act 1994 provides for a power to rectify any mistake apparent on the record. Such power is vested on the authority to rectify an obvious mistake which is apparent on the face on the records and for which a reappreciation of the entire records is neither possible nor called for. When the subsequent order dated 22-01-2009 passed by the Taxation Board is analysed and scrutinized it would be clear/apparent that the Taxation Board while passing that order executed its jurisdiction by re-appreciating the evidence on record and holding that there was no mala fide intention on the part of assessee respondent for tax evasion. Such re-appreciation of the evidence to come to a contrary finding was not available under Section 37 of the Act of 1994 while exercising the power of rectification of error apparent on the face of the records.”**(para-18)

अतः कर बोर्ड की समन्वय पीठ द्वारा पारित आदेश जो दिनांक 19.06.2012 को संचेतन मस्तिष्क व खुली आंखों से विधि के प्रावधानानुसार पारित किया गया है, को अधिनियम की धारा 33 के स्पष्टीकरण के प्रकाश में, परिशोधित करना विधिअनुकूल नहीं है। अतः उपर्युक्त वर्णित तथ्यात्मक, विधिक स्थिति एवम् माननीय शीर्ष न्यायालय के द्वारा मै0 गुलजग इण्डस्ट्रीज में प्रतिपादित सिद्धांत के आलोक में पारित, एवम् विशिष्ट रूप से माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत स.वा.क.अ. बनाम् मैसर्स मक्कड़ प्लास्टिक एजेन्सीज सिविल अपील संख्या 2692 /2011 निर्णय दिनांक 29.03.2011 जो (2011) 29 टैक्स अपडेट 253 में प्रतिपादित सिद्धांतों के आलोक में, कर बोर्ड की एकलपीठ के निर्णय, जो अपील संख्या 2130/2010/करौली, निर्णय दिनांक 19.06.2010, के विरुद्ध प्रस्तुत परिशोधन प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाता है ।

परिणामतः, प्रस्तुत परिशोधन आवेदन पत्र अस्वीकार किया जाता है ।

निर्णय प्रसारित किया गया ।


30.1.2015
(मदन लाल)
सदस्य